रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042025-262263 CG-DL-E-03042025-262263

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]

No. 178]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/चैत्र 13, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/CHAITRA 13, 1947

वित्त मंत्रलाय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

## सं. 25/2025

सा.का.नि. 217(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139कक की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114 में, उपनियम (5क) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

2359 GI/2025 (1)

"(5कक). प्रत्येक व्यक्ति, जिसे 1 अक्तूबर 2024 से पूर्व फाइल किए गए आधार आवेदन प्ररूप के नामांकन आईडी के आधार पर स्थायी खाता संख्या आबंटित किया गया है, अपना आधार संख्यांक प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या उक्त प्राधिकारियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सूचित करेगा ।

3. उक्त नियमों में, नियम 114 के उपनियम (6) में, "उपनियम (5) में आधार संख्यांक की सूचना" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "उपनियम (5) और (5कक) में आधार संख्यांक की सूचना" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।"।

[फा. सं. 370142/1/2025-टीपीएल]

सुरबेन्दु ठाकुर, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन, सा.का.नि.207(अ) तारीख 28.03.2025 द्वारा किया गया था।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2025

#### No. 25/2025

- **G.S.R. 217(E).** In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 139AA read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (ninth Amendment) Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred as the said rules), in rule 114, after sub-rule (5A), the following shall be inserted, namely:
  - "(5AA) Every person who has been allotted permanent account number on the basis of Enrolment ID of Aadhaar application form filed prior to the 1<sup>st</sup> day of October, 2024, shall intimate his Aadhaar number to the Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by the said authorities.
- **3.** In the said rules, in rule 114, in sub-rule (6), for the words, brackets and figures "intimation of Aadhaar number in sub-rule (5)", the words, brackets and figures "intimation of Aadhaar number in sub-rule (5) and (5AA)" shall be substituted.".

[F. No. 370142/1/2025-TPL] SURBENDU THAKUR, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section-3, Sub Section (ii) vide number S.O. 969(E), dated the 26<sup>th</sup> March, 1962 and was last amended vide notification No. G.S.R.207(E), dated 28.03.2025.